

निवेशक संबंध विभाग  
प्रधान कार्यालय,  
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक  
8 वा माला, बांद्रा कुर्ला संकुल  
बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051  
फोन – 22-66684490  
फैक्स-022- 66684491  
ईमेल: headoffice.share@bankofindia.co.in



INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT  
HEAD OFFICE  
Star House, C-5, "G" Block  
8<sup>th</sup> Floor (East Wing),  
Bandra- Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai – 400 051  
Phone : (022)- 6668 4490  
Fax : (022)- 6668 4491  
Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

Ref: IRD: RB:2017-18:290

01.09.2017

The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.
--	--

Dear Sir/Madam,

**Re: Extraordinary General Meeting- Election of Directors**

This is to further to our earlier communication dated 16.08.2017 on the subject.

We are attaching a copy of Notice of the Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on Thursday 12<sup>th</sup> October 2017 at 10.15 A.M. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400 051

We request you to get the same uploaded on your website.

सधन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,

(राजीव भाटिया Rajeev Bhatia)  
कंपनी सचिव Company Secretary



Encl: Copy the Notice

**बैंक ऑफ़ इंडिया**  
**Bank of India**

**BOI**



**असाधारण आम बैठक**

**गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2017**

**प्रातः 10.15 बजे**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**Thursday 12th October 2017**

**10.15 A.M.**

**प्रधान कार्यालय:**

स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,  
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),  
मुंबई - 400 051.

**बैंक ऑफ़ इंडिया**

रिशतों की जमापूँजी

**HEAD OFFICE:**

STAR HOUSE, C 5 ,G BLOCK  
BANDRA KURLA COMPLEX,  
BANDRA (EAST),  
MUMBAI - 400 051

विषय सूची	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
सूचना	3	Notice	4
व्याख्यात्मक विवरण	5	Explanatory Statement	6
संबंधित अधिनियमों और विनियमों के उद्धरण	15	Extract of Relevant Acts and Regulations	16
नामांकन फॉर्म	29	Nomination Form	30
घोषणा फॉर्म	31	Declaration Form	32
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा व वचन पत्र	33	Personal Information Declaration and Undertaking	34
ई-वोटिंग अनुदेश	41	Instructions for E-Voting	42
परोक्षी फॉर्म	43	Proxy Form	44
उपस्थिति पर्ची सह, प्रवेश पास	45	Attendance Slip cum Entry Pass	46
मीटिंग के स्थान पर पहुँचने का मानचित्र	48	Guiding Map for Meeting Venue	48

<b>महत्वपूर्ण तिथियाँ / Important Calander of Events</b>	
<p>चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का आभिनिश्चयन करने की कट ऑफ / निर्धारित तारीख</p> <p>Cut-off / Specified date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the Election</p>	<p>शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2017</p> <p>Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017</p>
<p>नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख</p> <p>Last Date of Submission of Nomination Forms</p>	<p>बुधवार, 27 सितम्बर, 2017</p> <p>Wednesday 27<sup>th</sup> September, 2017</p>
<p>नामांकनों की जांच</p> <p>Scrutiny of Nominations</p>	<p>गुरुवार, 28 सितम्बर, 2017</p> <p>Thursday 28<sup>th</sup> September, 2017</p>
<p>परोक्षी प्रपत्रों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख</p> <p>Last date for Receipt of Proxy forms and Resolutions appointing Authorised Representatives</p>	<p>शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 2017</p> <p>Friday 6<sup>th</sup> October, 2017</p>
<p>एनएसडीएल पर ई वोटिंग तारीख</p> <p>Evoting Dates on NSDL</p>	<p>सोमवार, 9 अक्टूबर, 2017, प्रातः 9.00 बजे से</p> <p>बुधवार, 11 अक्टूबर, 2017, सायं 5.00 तक</p> <p>Monday 9<sup>th</sup> October, 2017, 9.00 A.M. to</p> <p>Wednesday 11<sup>th</sup> October, 2017, upto 5.00 P.M.</p>
<p>असाधारण आम बैठक की तारीख और समय</p> <p>Date and Time of Extra ordinary General Meeting</p>	<p>गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2017, प्रातः 10.15 बजे</p> <p>Thursday 12<sup>th</sup> October, 2017 at 10.15 A.M.</p>
<p>असाधारण आम बैठक का स्थान</p> <p>Extra ordinary General Meeting Venue</p>	<p><b>बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाऊस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.</b></p> <p><b>Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051</b></p>



# बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बान्द्रा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2017** को प्रातः 10.15 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया सभागृह, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :

मद सं. 1 : बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3) (i) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके बाद इसे योजना के रूप में संदर्भित किया है) और अधिनियम की धारा 19 के पश्चात बताए गए बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) और अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सं. डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (इसके बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना संदर्भित किया गया है) तथा भारत सरकार के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के पत्र के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, दो निदेशकों के चयन हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:-

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i), जिसे संबंधित योजना के साथ पढ़ा जाता है, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को **25 अक्टूबर, 2017** से निदेशकों के रूप में पदग्रहण करने और ऐसा पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदधारण करने के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।”

निदेशक बोर्ड के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 1 सितम्बर, 2017

### टिप्पणियां :

#### • व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

#### • वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के अपने पास रखे हुए बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्रत्येक शेयरधारक जिसे निर्धारित तारीख अर्थात **शुक्रवार 8 सितंबर, 2017** को, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह निर्दिष्ट तारीख को अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने तथा बैंक (निर्वाचन) के दो शेयरधारक निदेशों के निर्वाचन में भाग लेने (नामित करने, भाग लेने और वोट देने) का हकदार होगा।

विनियम के 10 विनियम के अनुसार, यदि कोई शेयर दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से होता है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नाम के व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारक के नाम से हैं तो केवल पहले नाम वाला व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने का हकदार होगा और वही बैठक में वोट देने का हकदार होगा।

#### • परोक्षी की नियुक्ति

शेयरधारक बैठक में भाग लेने के हकदार हैं वह अपने स्थान पर भाग लेने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के भी हकदार हैं और इस तरह के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

परोक्षी फार्म प्रभावी होने के लिए, असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात **शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 2017** को या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।



# Bank of India

Bank of India- Head Office, C-5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051

## NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of **Bank of India** will be held on Thursday, the **12<sup>th</sup> October, 2017 at 10.15. a.m.** at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051 to transact the following business:

To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:-

**"RESOLVED THAT** two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification and Guidelines be and are hereby elected as Directors of the Bank to assume office from 25<sup>th</sup> October 2017 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Mumbai  
Date : 1<sup>st</sup> September, 2017

  
(Dinabandhu Mohapatra)  
Managing Director & CEO

### NOTES

- **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

- **VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date** i.e., on **Friday, the 8<sup>th</sup> September, 2017** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of two Shareholders' Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Specified Date** to vote in the election.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

- **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank **on Friday, the 6<sup>th</sup> October, 2017.**

- **प्राधिकृत प्रतिनिधि - की नियुक्ति**

किसी कंपनी, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति असाधारण आम बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें यह पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित कर नहीं दी गई हो और वह बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाऊस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 2017** को या कार्यालय समय की समाप्ति से पूर्व जमा की जानी चाहिए।

- **उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक सह प्रवेश-पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें। उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। परोक्षी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पत्रक-सह प्रवेश पास पर 'परोक्षी' या प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए। चुनाव के समय, टैब वोटिंग पासवर्ड प्राप्त करने के लिए, ऐसा प्रवेशपत्र सौंपना होगा।

- **अंतरण**

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए शेयर प्रमाणपत्रों को अंतरण विलेख के साथ, इस सूचना में अन्यत्र उल्लिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

- **पता परिवर्तन :**

भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :-

**बिग शेयर सर्विसिस प्रा. लि.**

**युनिट बैंक ऑफ़ इंडिया:**

पहली मंजिल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग

वसंत ओएसिस के सामने,

मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059

टेलि. : 22-62638200

फैक्स : 22-62638299

ई-मेल : investor@bigshareonline.com

## व्याख्यात्मक विवरण

### निदेशकों का चुनाव :

आपके बैंक ने 25 अक्टूबर, 2014 को, शेयरधारकों में से, केन्द्रीय सरकार से भिन्न 3 निदेशकों यथा श्री नीरज भाटिया, संजीव कुमार अरोड़ा और डी. हरीश का चुनाव किया था। जिनका कार्यकाल 24 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो रहा है। बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता में वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंक की इक्विटी चुकता पूंजी में सार्वजनिक शेयरधारिता 32% से कम होने की वजह से श्री डी हरीश ने 30.09.2015 को पदभार त्याग किया।

25 अक्टूबर, 2017 को होने वाली रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से आपके बैंक का गुरुवार 12 अक्टूबर, 2017 को आयोजित की जानेवाली असाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशकों का चुनाव करवाने का प्रस्ताव है।

शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) विभिन्न संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विभिन्न प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके संबंधित अंश यहां सूचित किए गए हैं।

शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जांच के पश्चात तथा बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उन्हें उचित एवं उपयुक्त पाए जाने पर या बाद में असाधारण आम बैठक में उनके चुनाव के पश्चात दो निदेशकों का चुनाव किया जाएगा। चुने गए निदेशक दिनांक 25.10.2017 को पद ग्रहण करेंगे और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 24 अक्टूबर, 2020 तक के लिए पद पर रहेंगे।



- **APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on **Friday, the 6<sup>th</sup> October, 2017**.

- **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Tab voting password at the time of voting.

- **TRANSFERS:**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given elsewhere in this Notice for the transfer of shares of the Bank.

- **CHANGE OF ADDRESS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Bigshare Services Private Limited,  
Unit : Bank of India,  
1<sup>st</sup> Floor, Bharat Tin Works Building  
Opp. Vasant Oasis Marol, Andheri East, Mumbai 400 059  
Tel : 22- 62638200, Fax : 22 - 62638299  
E mail: investor@bigshareonline.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

## **EXPLANATORY STATEMENT**

### **ELECTION OF DIRECTORS:**

Your Bank had elected three Directors viz. Shri. Neeraj Bhatia, Shri Sanjiv Kumar Arora and Shri D Harish, from amongst the shareholders other than Central Government on 25<sup>th</sup> October 2014 and their term comes to an end on 24<sup>th</sup> October 2017. Due to increase in GOI shareholding in the Bank resulting in decrease in public shareholding below 32% of the equity paid-up capital of the Bank, Shri D Harish demitted office on 30.09.2015.

With a view to fill in the vacancies that will arise on 25<sup>th</sup> October 2017, your Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at an Extraordinary General Meeting to be convened on Thursday, 12<sup>th</sup> October, 2017.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from 25<sup>th</sup> October , 2017 and will hold office for a period of three years till 24<sup>th</sup> October 2020.

**विधिक प्रावधान**

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियम अधिनियम/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचनाओं में दिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है :

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरे
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पर्याप्त हित</li> <li>➤ आय निदेशकों पर रोक</li> <li>➤ आपके किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध</li> </ul>
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(I) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) } धारा 9(3एबी) }  धारा 9(3बी)  धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध</li> <li>➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या</li> <li>➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान</li> <li>➤ कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु पात्र तभी होगा जब ट्रेक रिकार्ड के आधार पर वह उचित एवं उपयुक्त हो, ईमानदार हो और आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता हो।</li> <li>➤ कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करनेवाले किसी चयनित निदेशक को हटाने की आरबीआई का अधिकार।</li> <li>➤ ईमानदारी एवं गोपनीयता की बाध्यता।</li> </ul>
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11ए खण्ड 11बी  खण्ड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल</li> <li>➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता</li> <li>➤ निदेशक का पद त्याग करना</li> <li>➤ चुने गए निदेशक को पद से हटाना</li> <li>➤ किसी चुने हुए निदेशक के कार्यालय में रिक्तता को भरना</li> <li>➤ जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित है उनमें उनके द्वारा हितों का प्रकटन</li> </ul>
बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग</li> <li>➤ आम बैठकों में मतदान</li> <li>➤ आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव</li> <li>➤ शेयरधारकों की सूची</li> <li>➤ चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन</li> <li>➤ नामांकों की जांच</li> <li>➤ चुनाव विवाद</li> <li>➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण</li> <li>➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान</li> <li>➤ परोक्षी</li> </ul>
आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी नं. बीसी. नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 एवं नं. डीबीओडी. बीसी. नं.95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) और धारा 9(3एबी) के अनुरूप	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के उपयुक्त एवं उचित होने हेतु शर्तें
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर शासकीय निदेशक के चयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें, जो 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 को जारी किए गए थे और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का पत्र सं. 16/83/2013-बीओ.आई दि. 3 सितंबर, 2013		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-शासकीय निदेशकों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2014-मास्टर परिपत्र डीबीओडी.नं.डीआईआर. बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना



## LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Substantial Interest</li> <li>➤ Prohibition of Common Directors</li> <li>➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors</li> </ul>
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB)  Section 9(3B)  Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restriction on voting rights</li> <li>➤ No. of directors to be elected by the shareholders</li> <li>➤ Special knowledge in certain fields</li> <li>➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.</li> <li>➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.</li> <li>➤ Obligation as to fidelity and secrecy</li> </ul>
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10  Clause 11 Clause 11A Clause 11B  Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Term of office of elected directors</li> <li>➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank</li> <li>➤ Vacation of office of Director</li> <li>➤ Removal from office of an elected Director</li> <li>➤ Filling of vacancy in the office of an elected Director</li> <li>➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.</li> </ul>
Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Exercise of rights of joint holders</li> <li>➤ Voting at General Meetings</li> <li>➤ Directors to be elected at General Meetings</li> <li>➤ List of Shareholders</li> <li>➤ Nomination of candidates for election</li> <li>➤ Scrutiny of nominations</li> <li>➤ Election disputes</li> <li>➤ Determination of voting rights</li> <li>➤ Voting by duly authorized representative</li> <li>➤ Proxies</li> </ul>
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 <sup>rd</sup> September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and 20 <sup>th</sup> July 2016.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम/योजना/विनियमन और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना क्रं. डीबीओडी.बीसी.क्र.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 और डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 और भारत सरकार के दिशानिर्देश दि. 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 के संगत उद्धरण को बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे उद्धरण को अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया के कंपनी सचिव को प्रधान कार्यालय में [Headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.share@bankofindia.co.in) पर नामांकन फॉर्म की प्रस्तुति हेतु निर्धारित तारीख अर्थात 27 सितंबर, 2017 को या उससे पहले प्रस्तुत करने पर, उपलब्ध कराया जाएगा।

#### चुनाव में प्रतिभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट तारीख अर्थात शुक्रवार 8 सितंबर, 2017 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/हितकारी मालिकों के रजिस्टर में हों, भाग लेने हेतु पात्र होंगे अर्थात केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने हेतु पात्र होंगे।

#### (क) बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अर्हताएं :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे

- निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :
  - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  - बैंकिंग
  - सहकारिता
  - अर्थशास्त्र
  - वित्त
  - विधि
  - लघु उद्योग
  - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो, या
- जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या
- किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(ख) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के अनुसार एक उम्मीदवार जो शेयरधारक होने के नाते बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे 'फिट और उचित स्थिति' में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को वचन विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

#### बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित तरह का व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने हेतु अयोग्य है :

- यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या उनसे धन आदि के बदले अपराधिक रूप से छुटकारा पाया हो, या
- यदि अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने उसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो, या
- यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी क्रिमिनल न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में न्याय का पद धारित करता हो, किन्तु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और की शर्तों के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'फिट तथा उचित नहीं' पाया गया हो।



For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines dated 25 March 2015 and 20<sup>th</sup> July 2016 will be hosted in the Bank's website. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of India at their Head Office at [Headoffice.Share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.Share@bankofindia.co.in) on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Wednesday, 27<sup>th</sup> September, 2017.

#### **PARTICIPATION IN ELECTION:**

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i. e., on Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017 shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

#### **(a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

*In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall*

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
  - agriculture and rural economy
  - banking
  - co-operation
  - economics
  - finance
  - law
  - small scale industry
  - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- represents the interest of depositors; or
- represents the interest of farmers, workers and artisans

**(b)** In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish Annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

#### **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

- In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
  - if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
  - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
  - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
  - if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks by the **Nomination Committee of the Board** of the Bank.

• **शेयरधारकों की सूची**

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 2007 के विनियमन 64 के अनुसार शेयर धारकों की सूची की एक प्रति (इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप अर्थात् सीडी के रूप में) महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंडिया, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय से रु.84,000/- (रुपये चौरासी हजार मात्र) यथा कर लागू का भुगतान बैंक ऑफ़ इंडिया के पक्ष में मुंबई पर देय मांग ड्राफ्ट या भुगतान पर्ची द्वारा करने पर उपलब्ध होगी। इस सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि वे इस सूची का प्रयोग केवल इस चुनाव में प्रचार हेतु करेंगे और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे। सदस्यों का रजिस्टर, मुंबई में, बैंक के प्रधान कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों पर, (रविवार और बैंक अवकाश छोड़कर) दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक जांच के लिए खुली रखी जाएगी ताकि प्रतियोगी बैंक के प्रधान कार्यालय से शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी एक भाग का उद्धरण ले सकें।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य ₹ 10/- प्रति 1000 शब्द, (प्रति पेज) या उसके भाग के लिए, के दर पर परिकल्पित पूर्व भुगतान पर, रजिस्टर के किसी भाग अथवा संबंधित भाग की कंप्यूटर प्रिंट के लिए बैंक को अनुरोध कर सकते हैं।

• **चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन**

विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी संख्या बीसी.संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र सं. एफ नं. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में चयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 को निर्धारित शर्तों (जी ओ आई दिशानिर्देश) तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते कि :

- वह बैंक ऑफ़ इंडिया में यथा निर्धारित तारीख 08 सितम्बर, 2017 को, जो चुनाव में प्रतियोगिता हेतु निर्धारित तारीख है, बैठक की तारीख तक न्यूनतम 100 शेयर रखता है तथा यदि वह चुना जाता है तो अपने कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता है।
- नामांकन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख बुधवार 27 सितंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार, वह अधिनियम/योजना/विनियम/आरबीआई अधिसूचना के अन्तर्गत निदेशक होने से अन-अर्हक (डिस-क्वालीफाइड) नहीं कर दिया जाता/जाती है।
- नामांकन लिखित में है और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके यथाविधि संघटित अटर्नी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, बशर्ते कि कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने की स्थिति में जिस बैठक में इस तरह का संकल्प पारित किया जाए उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित हो और बैंक के कंपनी सचिव को संबोधित हो तथा इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- नामांकन के साथ घोषणा संलग्न हो जो किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार / सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो अधिनियम या योजना या विनियमन के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और साथ में विधिवत हस्ताक्षरित उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (जीवनवृत्त) संलग्न हों जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ऐसे ब्यौरे उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सही और एक वचनबंध भी संलग्न हो कि वह घोषणा के पश्चात प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी बैंक को यथाशीघ्र देगा/देगी।
- नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म वैसी हैं जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित है तथा प्रोफार्मा के रूप में अनुलग्न हैं। (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) पर उपलब्ध हैं।)
- बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 अथवा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैंक) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे 'विनियमों' कहा जायेगा) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 46/ 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं भारत सरकार के दिनांक 25.03.2015 के दिशानिर्देश तथा इसमें किसी भी संशोधन के अंतर्गत, गैर-शासकीय निदेशकों के लिए जैसा लागू है, निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

• **नामांकन फर्मों को जमा करना**

केन्द्र सरकार के निदेशों को छोड़कर, शेयरधारकों के बीच से बैंकों के निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित कागजात जमा करना है-

- विधिवत् भरा गया घोषणा फॉर्म;
- चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों में से न्यूनतम 100 का नामांकन;
- सूचना के साथ संलग्न प्रारूपों में संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों अर्थात् आत्म-विवरण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव आदि सहित व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचनबद्धता, एक पृथक् मुहरबंद लिफाफे में कंपनी सचिव को संबोधित, बैंक के प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 के पते पर असाधारण बैठक के कम से कम 14 दिन पहले किसी कार्य दिवस को अर्थात् 27 सितंबर 2017, बुधवार को शाम 4.30 बजे तक या उससे पहले दी जाये।



- **List of Shareholders**

As provided in Regulation 64 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available from the General Manager, Finance Department at Head Office of the Bank from Friday, the September 15, 2017 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹ 84,000 (Rupees Eighty Four Thousand only) plus taxes as applicable by Demand Draft/Pay Order in favour of Bank of India payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) between 2.30 P. M. to 4.30 P.M for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders at Head Office of the Bank.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of ₹ 10/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

- **NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:**

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and letter dated 3<sup>rd</sup> September 2013 vide Ref F No. 16/83/2013- BO.I issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issues on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the September 08, 2017 being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on Wednesday, September 27, 2017, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations/ RBI Notification and GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website i.e. [www.Bankofindia.co.in](http://www.Bankofindia.co.in))
- He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 25.03.2015 and any amendment thereof as applicable to Non Official Directors, from being a elected as a director.

- **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS**

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 4.30 p.m., on Wednesday, the 27<sup>th</sup> September, 2017.

कथित नामांकन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण हों, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं।

• **नामांकनों की जाँच एवं निदेशकों का चुनाव**

- नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्य दिवस को, अर्थात् गुरुवार 28 सितंबर 2017 को बैंक के द्वारा नामांकनों की जाँच की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे उसके वैध न पाये जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात् रद्द कर दिया जायेगा।
- वैध नामांकन, आरबीआई अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की जाँच के अध्यक्षीन हैं।
- नामांकन की जाँच प्रक्रिया के समय या बोर्ड की नामांकन समिति के द्वारा यथा सूचित, अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवार से बैंक अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज आदि माँग सकती है।
- यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हों तो यथा नामांकित उम्मीदवार उसी समय से चयनित माने जायेंगे और उनका नाम तथा पता उक्त प्रकार से चयनित प्रकाशित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक में कार्यसूची का यह मद संचालित नहीं किया जायेगा। नव निर्वाचित निदेशकगण 25 अक्टूबर 2017 से कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- यदि दो से अधिक वैध नामांकन हैं तो चुनाव आयोजित किया जायेगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजयी माना जायेगा और उसका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

• **ईजीएम (आसाधारण आम बैठक) में दूरस्थ - ई वोटिंग तथा वोटिंग**

यदि बैठक में चुनाव होता है तो वह ई-वोटिंग तथा वोटिंग के माध्यम से होगा।

दूरस्थ-ई वोटिंग के अनुदेश तथा उनका विवरण इस नोटिस के अनिवार्य अंग हैं तथा नोटिस के साथ अनुलग्न हैं।

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक के द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरी की जायेगी। उक्त उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष सलाहकार (जाँचकर्ता) होंगे। यह प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति की देखरेख में होगी जो प्रेक्षक का कार्य करेंगे।

• **12 अक्टूबर 2017 को चुनाव प्रक्रिया**

निदेशकों के चुनाव से संबंधित मद संख्या 01 के लिए वोटिंग टैब वोटिंग के द्वारा की जायेगी। इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष के द्वारा घोषणा के तुरंत बाद वोटिंग आरंभ होगी तथा अपराह्न 12.30 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की संख्या शुक्रवार, 8 सितंबर 2017 को उनके द्वारा रखे गये शेयरों की संख्या के आधार पर होगी।

इसके बाद वोटों की गिनती की जायेगी तथा बैठक के अध्यक्ष के द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी।

• **नामांकन वापस लेना**

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह 06 अक्टूबर 2017, शुक्रवार को बैंक की कार्य अवधि की समाप्ति अर्थात् शाम 4.30 बजे से पूर्व किसी भी समय पत्र या मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

• **विवाद**

यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियम, 2007 के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।


• **उद्धरण**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रासंगिक भाग अनुलग्नक में दर्शाये गये हैं।

• **निदेशकों का हित**

शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशकों तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, उन्हें कारोबार के पूर्वोक्त मदों में हित तथा संबंध रखने वाले माना जायेगा।

निदेशक बोर्ड के आदेश से



(दीनबंधु मोहापात्रा)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 01 सितम्बर, 2017



The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

• **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

- Nominations shall be scrutinized on Thursday, the 28<sup>th</sup> September, 2017 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines.
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- If there are only **two** valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the agenda item at the Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected directors will assume office on 25<sup>th</sup> October, 2017.
- If there are more than two valid nominations, Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers.

• **Remote - E Voting and Voting at EGM**

In the event Elections are held the same will be held through remote e-voting and Voting at the meeting.

Instructions for Remote Evoting and the details thereof forming integral part of this notice is being provided elsewhere in this notice

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and shareholder Scrutinizer.

• **Voting Process on October 12, 2017**

The voting for Election of Directors shall be done by Tab Voting. Voting will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and continue upto 12.30 p.m. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017.

The counting of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting.

• **Withdrawal of Nominations**

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or Mail at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 4.30 p.m., on Friday, the October 06<sup>th</sup>, 2017.

• **Disputes:**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007

• **Extracts:**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

• **Interest of Directors:**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

(Dinabandhu Mohapatra)  
Managing Director & CEO

Place : Mumbai  
Date : 1<sup>st</sup> September, 2017

### निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि का उद्धरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी के अनुरूप शेयरधारक निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 1970 तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक खंडों को शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

#### बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

##### “पर्याप्त हित” खण्ड 5 (एन. ई.)

- (i) कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी / पति या नाबालिग बच्चे, या तो अकेले या साथ मिलकर लाभार्थी के रूप में अपना हित धारण करना। इस संबंध में भगतान राशि 5 लाख रुपया या कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत इन दोनों में जो भी कम हो, होनी चाहिए।
- (ii) फर्म के संबंध में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी / पति या नाबालिग बच्चों के द्वारा फर्म में लाभार्थी के रूप में अपना हित रखना जो संबंधित फर्म के सभी भागीदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

#### सामान्य निदेशकों का निषेधाज्ञा - धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी में, उसके निदेशक मण्डल में, निदेशक के रूप में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक हों।

#### ऋण तथा अग्रिम पर बंधन - धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के खंड 77 में विहित कुछ भी विपरीत के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी -
  - क) अपने शेयर के प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा
  - ख) निम्नलिखित की ओर से किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए -
    - (i) कंपनी का कोई निदेशक
    - (ii) कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हों, अथवा
    - (iii) बैंककारी अधिनियम, 1956 के खंड 25 के अंतर्गत कोई पंजीकृत कंपनी या बैंककारी कंपनी का कोई कंपनी अनुषंगी न हो अथवा कंपनी या अनुषंगी अथवा एक सरकारी कंपनी में बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता अथवा जिसमें बहुत अधिक हित रखते हों अथवा
    - (iv) कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।
 

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।
- 3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी छूट/माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।
- 4) जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।





## **ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.**

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

### **THE BANKING REGULATION ACT, 1949**

Substantial Interest”,— Section 5 (ne)

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent. of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;]

### **Prohibition of Common Directors – Section 16(1)**

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

### **Restrictions on Loans and Advances – Section 20**

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
  - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
  - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
    - (i) any of its Directors
    - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
    - (iii) any company (not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company, of which (or the subsidiary or the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
    - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

**इस धारा में व्याख्या :**

- “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगी जिसे रिज़र्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।
  - “निदेशक” से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

**2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का उद्धारण मताधिकार को सीमित करना**

धारा 3(2ई) केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के सम्बंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**निदेशक मंडल का संगठन**

धारा 9(3)(i) जहाँ धारा 3 की उप धारा (2 ख) के खंड (ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी निम्नानुसार हो तो:

- (I) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक:
- (II) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो दो निदेशक।
- (III) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो, केन्द्र सरकार को छोड़कर, तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसी किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक उक्त योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने के दिन अथवा उससे पहले अनुरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों के मामले में, उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक है तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह कानून आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं इस रूप से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3क) उक्त खंड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक-

- (क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक के सम्बंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले हो :-
  - i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
  - ii) बैंकिंग
  - iii) सहकारिता
  - iv) अर्थशास्त्र
  - v) वित्त
  - vi) विधि
  - vii) लघु उद्योग
  - viii) कोई अन्य मामले जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है।

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9 (3कक): उप धारा 3(क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित विधि में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप धारा 3 के खण्ड (आई) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार ‘उचितत्वम् उपयुक्त’ स्थिति में होना चाहिए।

धारा 9 (3कख) : भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3(कक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में फिट और प्रापर स्थिति निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया और कोई अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3कग) : जहां रिज़र्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (झ) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3 क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3क) और (3कक)की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त बैंक के शेयरधारकों को अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

**Explanation in this Section –**

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- c) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

**2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970**

**Restrictions on voting rights**

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

**Composition of the Board of Directors**

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- I. not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- II. more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- III. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
  - (i). agriculture and rural economy
  - (ii). Banking
  - (iii). Co-operation
  - (iv). Economics
  - (v). Finance
  - (vi). Law
  - (vii). Small scale industry
  - (viii). Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having ‘fit and proper status’ based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the ‘Fit and Proper’ status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

**निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व:**

**धारा 13 (2):** प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या समतुल्य नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

**3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970**

**निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल**

**खण्ड 9(4) :**

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए पदधारिता नहीं करेगा।

• **निदेशकत्व हेतु अयोग्यता**

**खण्ड 10**

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा:-

- क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या प्रशमन किया हो, या
- ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो; या
- ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो; या
- घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अन्तर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

**निदेशक के पद का रिक्त होना**

**खण्ड 11**

1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपर्युक्त उप-धारा के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (इ) अथवा खण्ड (च) में उल्लेखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जब उस निदेशक का कामगार अथवा कोई कर्मचारी रहना समाप्त हो जाता है इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका वह निदेशक है का कामगार रहना शामिल नहीं है।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है, तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

**निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना**

**खण्ड 11क :**

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित वाले शेयरधारकों के बहुमत से प्रेरित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (झ) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

**निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना**

**खण्ड 11ख**

- 1) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी। बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीनों से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।
- 2) उपखण्ड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।



### **Obligation as to Fidelity and Secrecy:**

**Section 13(2):** Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

### **3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970**

#### **Term of office of elected Director**

##### **Clause 9(4) :**

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

#### **Disqualification of Directors**

##### **Clause 10**

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

#### **Vacation of office of Directors**

##### **Clause 11**

- 1) If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

#### **Removal from office of an elected Director**

##### **Clause 11A :**

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

#### **Filling of vacancy in the office of an elected Director**

##### **Clause 11B**

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.  
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

## निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन

### खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र वह बोर्ड को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से कम धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ड) या (च) के अधीन निदेशक है।

## IV. बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियम, 2007

### संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

#### विनियम 10:

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस का निष्पादन करने और बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित अन्य सभी मामलों में प्रथम नाम धारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

### निदेशकों का चयन सामान्य सभा में होगा

#### विनियम 63

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अनुसार निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की सामान्य बैठक में उनके बीच में से ही किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी निदेशक का चयन सामान्य सभा में किया जाना है। इस आशय की सूचना सामान्य सभा बुलाने की सूचना में दी जाएगी। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियाँ जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

### शेयरधारकों की सूची

#### विनियम 64

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चुनाव के लिए रजिस्टर में उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- (ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उनके शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और आवेदन पर इस सूची की प्रतियाँ निदेशक बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए गए मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

### चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:

#### विनियम 65

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि
- (क) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो।
- (ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
- (ग) उसने अपने नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया गया हो।
- (घ) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत नियत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बशर्ते किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो द्वारा किया गया नामांकन उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाए और जहाँ ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प प्रमाणपत्र की प्रति को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।



## **Disclosure of interest by Directors**

### **Clause 12(8)**

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i). a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii). an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

## **IV. BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2007**

### **Exercise of rights of joint holders**

#### **Regulation 10:**

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank of India except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

### **Directors to be elected at general meeting**

#### **Regulation 63**

- (i). A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of Bank of India.
- (ii). Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

### **List of shareholders**

#### **Regulation 64**

- (i). For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii). The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

### **Nomination of candidates for election:**

#### **Regulation 65:**

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
  - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Bank of India
  - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
  - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
  - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

- (ड.) नामांकन के साथ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वर्यसेज के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने की हस्ताक्षरित की गई यह घोषणा संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और यह कि वह अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिनों के पहले प्राप्त न हो जाए।

#### **नामांकनों की संवीक्षा (जांच):**

##### **विनियम 66:**

- (i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण दर्ज किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- (ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- (iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

#### **चुनाव-विवाद**

##### **विनियम 67:**

- (i) यदि किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उठता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रत्याशी या शेयर-धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में उसे उन आधारों का विवरण देना चाहिए जिन पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद करता है।
- (ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक हों जिन्हें अधिनियम की धारा 9 के उप धारा 3 के उप खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव था तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगे अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधि मान्य नहीं था तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आदेश देगे और जैसे समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे नया चुनाव कराने सहित निर्देश जारी करेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

#### **शेयरधारकों का मताधिकार:**

##### **मताधिकार का निर्णय:**

##### **विनियम 68**

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप सामान्य बैठक की तारीख के पहले रजिस्ट्रार बंद होने की तारीख पर जिसे शेयर धारक रजिस्ट्रार में दर्ज किया गया है, ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अध्याधीन, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयर धारक, जो एक कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो और जो कंपनी है वह उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो उसे हाथ उठा कर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां ऊपर उल्लिखित के अनुरूप उसे द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।  
स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए "कंपनी" से तात्पर्य कोई भी कॉर्पोरेट निकाय से है।
- (iii) बैंक के शेयर धारक सामान्य सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकेंगे, परंतु ऐसे किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।





- e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Bank of India on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

#### **Scrutiny of nominations:**

##### **Regulation 66:**

- (i). Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii). In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii). A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

#### **Election disputes:**

##### **Regulation 67:**

- (i). if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Bank of India and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii). On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of India shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii). The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv). An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

#### **Voting Rights of Shareholders:**

##### **Determination of voting rights:**

##### **Regulation 68:**

- (i). Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii). Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

- (iii). Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

## विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान

### विनियम 69:

- (i) कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कम्पनी एक संकल्प के द्वारा जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा कम्पनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।
- (ii) बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रधान कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमा न कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग ले सकेगा और और न ही मतदान कर सकेगा।

### भारतीय रिज़र्व बैंक के "उचित एवम् उपयुक्त" मानदंड दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (अएए) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई 1 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडीबीसी सं.46/29.39.001/2007-08 द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की उप-धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा के लिए आवश्यक "उपयुक्त और उचित मानदंड" निर्धारित किए गये हैं।

### दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

"उपयुक्त और उचित" स्तर आदि का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी, पद्धति/क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

#### • प्राधिकारी:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एक, "नामांकन समिति" का गठन करें जिसमें निदेशक बोर्ड में से कम-से-कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र निदेशक/ गैर-कार्यपालक निदेशक) रखे जाएं। निदेशक बोर्ड अपने में से किसी एक निदेशक का नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करें। कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा। पहले से नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति में आगामी बैठक के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को निदेशक बोर्ड द्वारा नामित किया जाए। नामांकन समिति का गठन करते समय उसके कार्यकाल का निर्णय बोर्ड कर सकता है।

#### • पद्धति और क्रियाविधि:

उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जाने वाले विद्यमान निर्वाचित निदेशक/व्यक्ति के "उपयुक्त तथा उचित" स्तर का निर्धारण करते समय नामांकन समिति को समुचित सावधानी अपनानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक I) में ऐसे विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/व्यक्तियों से आवश्यक सूचना और घोषणा बैंकों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए जो निर्वाचन के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत करते हैं। यदि उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाना हो तो नामांकन समिति को नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की उम्मीदवारी नीचे दिये गये मानदंडों के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं। इस समिति की बैठकों में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकार्ड किया जाना चाहिए और यदि विद्यमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में कोई मत विभाजन हुआ हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरयुक्त घोषणा में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर नामांकन समिति को यह निर्णय लेना चाहिए कि उम्मीदवारी स्वीकार की जाए अथवा नहीं और जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्ति/संस्था आदि से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाए कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।

#### • मानदंड :

नामांकन समिति को यहां नीचे दिये गये मानदंडों के आधार पर विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/प्रस्तावित उम्मीदवार के "उपयुक्त तथा उचित" स्तर का निर्धारण करना चाहिए।

- i. शैक्षणिक अर्हता
- ii. अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
- iii. पिछला रिकार्ड और ईमानदारी

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि उपर्युक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विद्यमान निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्य निर्वाह पर असर पड़ेगा अथवा नहीं। साथ ही यह कि किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी द्वारा उम्मीदवार को कोई प्रतिकूल नोटिस दिया गया है, अथवा दिवालियापन अथवा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋण की चुकौती में चूक उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम करने के लिए अनुपयुक्त बना देगी।

#### • अन्य मामले :

यह वांछनीय है कि जनहित में बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि निर्वाचित निदेशक निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को हमारे 20 जून, 2012 के परिपत्र वैपविवि.सं.बीसी.116/08.139.001/2001-02 द्वारा प्रेषित डॉ. गांगुली दल की सिफारिशों के अनुसार प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करते हैं।



### **Voting by duly authorized representative:**

#### **Regulation 69:**

- (i). A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of India. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii). No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of India as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank of India not less than four days before the date fixed for the meeting.

### **RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES**

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific “ Fit and Proper “ Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies ( Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

### **SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES**

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper “status etc., are as under:

- **Authority:**

All the nationalized banks are required to constitute a “nomination committee” consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

- **Manner and procedure:**

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person’s candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee’s discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

- **Criteria**

The nomination committee should determine the ‘fit and proper’ status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

- **Other matters**

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा प्रस्तुत करें कि उन्होंने पहले जो सूचना दी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो निदेशकों द्वारा उससे संबंधित आवश्यक ब्यौरे तत्काल प्रस्तुत किये जाएं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हों तो नामांकन समिति को इस संबंध में समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाते हुए निदेशक के "उपयुक्त और उचित" स्तर की दोबारा जांच करनी चाहिए।

**अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन के लिए दिशानिर्देश- भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर, 2013 माध्यम से लागू और एमओएफ पत्र सं. एफ. सं. 16/51/2012-बीओआई दिनांक 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के माध्यम से संशोधित दिनांक 01 जून, 2011 के भारत सरकार के दिशानिर्देश (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश)**

निम्नलिखित मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के नामांकन के लिए अपनाया जा सकता है।

#### सामान्य

- विशेष अकादमिक रिकार्ड धारक महत्वपूर्ण व्यक्ति, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉरपोरेट लॉ, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षण या व्यवहारिक अनुभव धारक व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर 20 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव, संबंधित क्षेत्र में स्थापित कुशलता (किसी प्रतिष्ठित संस्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी असफल होते हुए संगठन में आमूलभूत परिवर्तन किया हो) को वरीयता दी जाएगी।
- कुल 20 वर्षों के अनुभव धारक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उच्च स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 वर्ष बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हो, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सेवरत एमडी/ईडी का किसी भी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षक निदेशक और प्राध्यापक (प्रोफेसर) जिन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।
- ऐसे सनदी लेखाकार जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को हटाकर) को भी वरीयता दी जाएगी।

#### शिक्षा

- एनओडी किसी भी वर्ग में न्यूनतम स्नातक होना चाहिए, अधिमान्यतः कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में।

#### आयु

- नियुक्ति बोर्ड द्वारा सिफारिश की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### कार्य अनुभव :

आमतौर पर पेशेवरों/शिक्षाविदों को विशेष क्षेत्र में काम करने का अनुभव 20 वर्ष होना चाहिए।

#### अयोग्यता :

- बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई) आरबीआई, इन्व्हेस्टर्स कंपनी में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही निदेशक के रूप में होने पर किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देना और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न निवेशकों का किसी कंपनी पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो, एनओडी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें आयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति जिसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में दो कार्यकालों या छः वर्ष जो भी अधिक हो, बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में सेवाएं दी हों को एनओडी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

#### कार्यकाल

- किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/इन्व्हेस्टर्स कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 6 वर्षों के लिए, लगातार या सविराम।

#### व्यावसायिक प्रतिबंध

- यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।



It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

**GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR- GOI guidelines dated June 01,2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated September 03, 2013 and revised vide MOF Letter No.F.No.16/51/2012-BO.i dated March 25, 2015 and July 20, 2016 (the extant Government of India guidelines)**

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

**GENERAL**

- Persons of eminence with special academic, training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of Industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a failing organization) would be preferred.
- Retired Senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NOD on the Board of any other PSB.
- Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and professors having more than 20 years experience.
- Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.

**EDUCATION**

- An NOD Should be at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT

**AGE**

- The age of the Director, on the date of recommendation by Committee should not be more than 67 years.

**WORK EXPERIENCE**

- Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**DISQUALIFICATION**

- A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company , under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI/ RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

**Tenure**

- Director on the board of any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

**Professional Restriction**

- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non official Director in any Nationalized Bank/ PSB.
- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non Official Director in the same Bank.



## बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

### नामांकन फार्म

प्रति

प्रबंध निदेशक और सीईओ,  
बैंक ऑफ़ इंडिया,  
प्रधान कार्यालय,  
स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
मुंबई-400 051

प्रिय महोदय,

### निदेशकों का चुनाव

आपकी सूचना दिनांक 01 सितंबर 2017 संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती ..... बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयरधारक हूँ और मेरे पास शुक्रवार, 8 सितंबर, 2017 जो चुनाव में सहभागिता के लिए मानी गई रिकार्ड तारीख है को ..... शेयर ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर हैं और मैं एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ..... को, जो कि ..... का/की निवासी है, 12 अक्टूबर, 2017 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवम् अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में उपबंध किए गए अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
रजिस्टर फोलिओ संख्या (यदि डीमैट नहीं हो)	
डीपीआईडी सं. एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डीमैट हो)	
स्थान	
दिनांक	

### टिप्पणियां:

- यदि नामांकन किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया जाता है जो निगमित निकाय हो तो नामांकन प्रपत्र के साथ संबंधित निदेशक बोर्ड की बैठक के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर का बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ मिलान होना जरूरी है।
- उपरोक्त में से यदि कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण सही नहीं पाए जाने पर, नामांकन खारिज कर दिए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।



**Bank of India**  
Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051

**NOMINATION FORM**

To  
**Managing Director & CEO,**  
**Bank of India Head Office,**  
**Star House, Bandra Kurla Complex,**  
Mumbai – 400051.

Dear Sir,

**ELECTION OF DIRECTORS**

With reference to your Notice dated 1<sup>st</sup> September 2017 I, ..... a shareholder of Bank of India holding ..... equity shares of ₹ 10/- each as on Friday, September 8, 2017 i.e., the Specified Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ....son / daughter / wife of Shri ..... residing at .....

for being elected as a Director of Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on October 12, 2017

<b>Name</b>	
<b>Signature</b>	
<b>No. of shares</b>	
<b>Regd. Folio No. (if not dematerialized)</b>	
<b>DP ID No. &amp; Client ID No. (If dematerialized)</b>	
<b>Place</b>	
<b>Date</b>	

**Notes:**

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



**बैंक ऑफ इंडिया**  
प्रधान कार्यालय, मुंबई 400051

**घोषणा**

मैं, श्री/श्रीमती----- का पुत्र/पुत्री----- श्री/श्रीमती----- का

- का/की निवासी हूँ और एतद्वारा, पुष्टि करता / करती हूँ
- क) कि मैं चुनाव में सहभागता के लिए (स्पेसिफाइड) तारीख 8 सितम्बर, 2017 को बैंक के रुपये 10 प्रति शेयर के \_\_\_\_\_ इक्विटी शेयरों का धारक हूँ एवं मुझे \*i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहयोग (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा \_\_\_\_\_ (जिसकी विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवम् शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में संबंधित साक्षात्पत्रों को इसके साथ प्रस्तुत करता हूँ एवम्
- ग) मैं \_\_\_\_\_ नंबरों वाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ। एवम्
- घ) मैं बैंक ऑफ इंडिया निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ एवम्
- ङ) मैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बँठक) विनियम, 2008 और भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधिसूचना अनुसार बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।
- च) मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अंतर्गत उपधारा (1) धारा 3 के अनुसार गठित है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक (समन्वय बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ, एवम्

मैं, आगे यह घोषणा करता हूँ कि :

- छ) मैं किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया हूँ और
- ज) मेरा दिवालिया के रूप में किसी भी समय फैसला नहीं किया गया है या भुगतान निलंबित या लेनदारों के साथ जोड़ा नहीं गया है, और
- झ) मुझे कभी भी अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा उस तरह घोषित किया गया है और न ही किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और न ही किसी अपराधी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक विषमता शामिल है और
- ट) मैं किसी भी खरीद व बेचने, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़ा नहीं हूँ,
- ठ) मैं, किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान में निदेशक नहीं हूँ, और
- ड) मैं, दो टर्म या छह वर्ष के लिए जो भी दीर्घ कार्यकाल हो किसी भी श्रेणी के अंतर्गत अतीत में इस बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहा हूँ, और
- ढ) मैं किसी श्रेणी के तहत (सीए श्रेणी सहित) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान में चाहे लगातार या रूक-रूक कर छह वर्ष की अवधि या दो टर्म के लिए निदेशक नहीं रहा, और
- ण) मैं, यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो बैंक के साथ यदि कोई पेशेवर रिश्ता हो उसे तोड़ दूंगा और उस दौरान बैंक के साथ किसी भी व्यावसायिक रिश्ते का निर्वाह उसके बाद दो-वर्ष की अवधि के लिए नहीं रखूंगा, और
- त) जब तक मैं बैंक के निदेशक का पद धारण किए हूँ, तब तक सबी (लिसिटिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के संबंधित प्रावधानों का पालन करने का दायित्व लेता हूँ,
- थ) मैं यह वचन देता हूँ कि इसमें मुहैया कराई गई सूचनाओं के संबंध में इस घोषणा के बाद यदि और घटनाएं, यदि कोई हो, घटित हो तो जहां तक संभव होगा मैं उनके बारे में बैंक को पूरी जानकारी दूंगा और बैंक के निदेशक के रूप में मेरा चुनाव होने पर प्रसविदा विलेख निष्पादित करूंगा।
- द) मैं अपने अन्य कंपनियों/बैंकों में वर्तमान तथा पिछले निदेशक के विवरण नीचे देता/देती हूँ:-

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशक विवरण जैसे कालावधि, समयावधि आदि

यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त शीट जोड़ें।

- ध) मैं अपने व्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी पूर्ण जानकारी एवम् विश्वास में सही और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
रजिस्टर फोलिओ संख्या (यदि डीमैट नहीं हो)	
डीपीआईडी संख्या एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डीमैट हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी

मुहर के साथ हस्ताक्षर जज, मजिस्ट्रेट, एश्वर्योरेस रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

जो कुछ लागू हो उसे टिक करें





**DECLARATION**

I, ..... son / daughter / wife of Shri / Smt. .... resident of ..... hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding ..... equity shares of the Bank on **Friday, September 8, 2017** i.e., the Specified date for participating in the elections, and
- b. \*I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or ..... (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbering ..... and
- d. I am willing to contest for the election of Directors of Bank of India, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2008 and Notification issue by RBI and GOI Guidelines.
- f. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- j. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers;
- k. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- l. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- m. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years whichever is longer, whether continuously or intermittently, and
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- o. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank
- p. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- q. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

**Add additional sheet, if necessary.**

- r. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.(if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of India or any Nationalized Bank.

**\*Delete whichever is not applicable.**

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचनबंध

बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रत्याशी द्वारा अनुलग्नकों सहित घोषणा एवं वचन यथा _____	
।.	प्रत्याशी की व्यक्तिगत जानकारी
क.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)  पिता का नाम (पूरा)
ख.	जन्म तिथि
ग.	शैक्षिक अर्हता
	अर्हता (शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों संलग्न करें).
	शैक्षणिक (व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों संलग्न करें).
घ.	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव (सालों में) (बैंककारी कंपनी, (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3-क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित) (कृपया बैंक निदेशकता के संबंधित आपके अनुभव का उल्लेख करें। )
ड.	स्थायी पता
च.	वर्तमान पता
छ.	ई मेल आईडी टेलीफोन नं.

Passport  
Size  
Photo

### Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of Bank: **Bank of India**

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____	
<b>I.</b>	<b>Personal details of the candidate</b>
a.	Full Name (in capital letters)  Father's Name (in Full)
b.	Date of Birth
c.	Educational Qualification  (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
	Educational / Professional (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
d.	Relevant Background and Experience (in number of years) (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank)..
e.	Permanent Address
f.	Present Address
g.	E-Mail Address Telephone Number (Landline)  Telephone Number (Mobile)

ज.	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (2) आयकर सर्कल/प्रभाग का नाम एवं पता जहां आयकर विवरण दायर किया जाता है। (3) आधार संख्या (4) डायरेक्ट आईडेंटिफिकेशन नंबर	
झ.	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ लें	
ञ	बैंक निदेशकता से संबंधित अन्य जानकारी।	
II.	<b>प्रत्याशी से संबंधित रिश्ता</b>	
क.	प्रत्याशी के रिश्तेदारों की सूची जो बैंक से किसी भी प्रकार से संबद्ध हैं (संदर्भ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और सम्बंधित कंपनी नियम (ब्योरो के निर्धारण का विनिर्देशन) नियम 2014) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए का संदर्भ लें).	
ख.	संस्थाओं की सूची जिसमें प्रत्याशी का हित होने की संभावना है, (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(49) और 184) और (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3)(ए) और धारा 300 का संदर्भ लें)	
ग.	संस्थाओं की सूची जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) के अनुसार उनका/उसका पर्याप्त हित रहने की संभावना है प्रस्तावित और विद्यमान ।	

h.	<p>(1) Permanent Account Number (PAN Number) of the Income Tax Act (Please enclose a copy).</p> <p>(2) Name and address of Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed.</p> <p>(3) Aadhar Number (Please enclose a copy)</p> <p>(4) Directors Identification number (if Obtained)</p>	
i	Relevant knowledge and experience (As Required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	<b>Relevant Relationships of Candidate</b>	
a.	List of Relatives, if any, who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act - 2013 read with Rule 4 of Companies (specification of definitions details) Rules 2014 (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he / she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and section 184 for of the Companies Act - 2013) (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	

घ.	उस बैंक का नाम दीजिए जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं/थे (ऐसी पदधारिता की अवधि के विवरण दें)	
ड.	उसके/उनके द्वारा और/अथवा उपर्युक्त 2(ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में बैंक से उपलब्ध की गई निधि और गैर निधि सुविधाएं।	
च.	ऐसे मामले, यदि कोई है, जहाँ निदेशक अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्था बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में व्यतिक्रमी है अथवा पहले व्यतिक्रमी रहे हैं।	
III.	<b>व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड</b>	
क.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV.	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई है।	
क.	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है, तो उसके/उनके विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई, लंबित/शुरू की गई है अथवा विगत में उसके/उनके विरुद्ध दोषसिद्धि में परिवर्तित हुई है अथवा क्या उसे/उन्हें किसी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने हेतु पाबंदी लगाई हो।	
ख.	अभियोजन के ब्योरे, यदि कोई है, उम्मीदवार के विरुद्ध और/अथवा उपर्युक्त II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी संस्था के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियम भंग करने हेतु लंबित/शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि में परिणत हुए हैं।	
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा अतीत में उनके विरुद्ध दोषसिद्धि में परिणत हुए आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि हैं।	
घ.	क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169 या- (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274) के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया है?	

d.	Name of Bank in which he / she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the candidate / director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	
IV	Proceedings, if any, against the candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder (Section 274 of the Companies Act 1956) read with clause 10 of the Nationalised Bank (Managed and Misc. Provisions) Scheme-1970.	

ड.	क्या उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त II(ख) और (ग) की संस्थाएं सरकारी विभाग अथवा एजेन्सी के अनुरोध पर अन्वेषण के अध्यक्षीन हैं।	
च.	क्या उम्मीदवार किसी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों के नियमों/विनियमों, वैधानिक आवश्यकताओं को भंग करने हेतु दोषी पाया गया है, यदि है, तो उसके विवरण दें।	
छ.	क्या उम्मीदवार को सेबी, आयआरडीए, डीसीए, आरबीआई, एमसीए, फेमा, सिबिल आदि जैसे विनियामकों द्वारा कभी प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है?  (यद्यपि, प्रत्याशी के लिए विनियामकों द्वारा दिए गए आदेश और निष्कर्ष के बारे में कालम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में संपूर्णतः रिवर्स किए जाते हैं। यदि रिवर्सल किया जाना गुणों के आधार पर न हो कर परिसीमा अथवा अधिकार क्षेत्र का अभाव जैसे तकनीकी कारणों से किया गया है तो उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि विनियामक के आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है और अपीलीय/न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए।)	
V.	मद I से III से संबद्ध कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी और 'फिट और प्रॉपर' स्थिति का निर्णय करने हेतु संबंधित अन्य जानकारी।	

**वचन**

मैं, \_\_\_\_\_ का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी \_\_\_\_\_ पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता / देती हूँ कि मेरी नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त दी गई जानकारी के संबंध में कोई घटना हो जाती है तो मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को इसकी पूरी जानकारी प्रदान करूँगा / करूँगी। मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु आवश्यक वचनपत्र निष्पादित करने का वचन देता हूँ / देती हूँ।

स्थान :

दिनांक:

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:

- नोट: 1. जहां भी लिखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है उसके लिए कालानुक्रमिक और उचित संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में जोड़ें।  
2. सभी पन्ने (अनुलग्नकों के साथ) प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।

**नामांकन समिति का अवलोकन:**

--	--	--

समिति सदस्य के हस्ताक्षर

समिति सदस्य के हस्ताक्षर

समिति सदस्य के हस्ताक्षर

नाम:

नाम:

नाम:

दिनांक:

स्थान :



e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc, (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

**Undertaking**

I, \_\_\_\_\_ Son / Daughter / wife of  
 Shri \_\_\_\_\_ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenets and code of conduct as applicable as required to execution on selection.

Place :

Date :

**Signature of the Candidate**

Enclosures :

- Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.  
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

**Remarks / Observations of the Nomination Committee of the Bank**

Signature of Nomination  
Committee Member

Signature of Nomination  
Committee Member

Signature of Nomination  
Committee Member

Name :

Name :

Name :

Date :

Place :

## ई वोटिंग हेतु अनुदेश

ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित है :-

ए) यदि किसी सदस्य को एनएसडीएल (NSDL) से ईमेल प्राप्त होता है [ऐसे सदस्य जिनका ईमेल आईडी कंपनी/निक्षेपागार सहभागी/सहभागियों के पास पंजीकृत है] :

1. अपनी क्लायन्ट आईडी (client ID) या फोलियो सं. (folio No.) को पासवर्ड के रूप में प्रयोग कर ईमेल एवं पीडीएफ फाइल यथा: "remote e-voting.pdf" खोलें। कथित पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग हेतु आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन है। कृपया उस पासवर्ड की प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में नोट करें। रिमोट ई-वोटिंग हेतु यदि आप NSDL पर पहले से पंजीकृत हैं तो अपना वोट डालने के लिए आप अपना वर्तमान यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्रयोग कर सकते हैं।

नोट : ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत शेयरधारकों को पीडीएफ फाइल "remote e-voting.pdf" नहीं प्राप्त होगी।

2. उल्लिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरंभ करें।
3. Shareholder - Login पर क्लिक करें।
4. उपर्युक्त मद सं. 1 में नोट किये गये प्रारंभिक पासवर्ड/पिन को यूजर आईडी एवं पासवर्ड के रूप में प्रविष्टि करें। Login पर क्लिक करें।
5. पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। कम से कम 8 अंकों/शब्दों या उसके मिश्रण (कॉम्बिनेशन) से अपनी पसंद का नया पासवर्ड बनाकर पुराने पासवर्ड/पिन को बदलें। नया पासवर्ड नोट करें। यह सिफारिश है अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ बिल्कुल साझा (शेयर) न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
6. remote e-voting का होम पेज खुलेगा। remote e-voting पर क्लिक करें : Active Voting Cycles
7. "BANK OF INDIA" के "EVEN" का चयन करें। चुनाव के लिए **EVEN संख्या 107202** है।
8. जैसे ही Cast Vote page खुलता है, आप remote e-voting के लिए तैयार हैं।
9. अपनी पसंद के प्रत्याशी का चयन कर "सबमिट" पर क्लिक करें और पुष्टि करने के लिए पूछे जाने पर "Confirm" पर क्लिक कर अपना वोट डालें।
10. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक वोटडाला" संदेश प्रदर्शित होगा।
11. आप दो प्रत्याशियों को वोट देने के अधिकारी होंगे। एक बार वोट डालने के बाद आपके अपने वोट में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
12. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/प्राधिकारपत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) और वोट देने हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर, स्कूटिनाइज़र को Scrutinizer@anaco.net ईमेल द्वारा भेजनी चाहिए और उसकी एक प्रति [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) को भी भेजना चाहिए।

बी. यदि किसी सदस्य को EGM सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त होती है (ऐसे सदस्य जिनका ईमेल आईडी कंपनी/निक्षेपागार सहभागी/सहभागियों के पास पंजीकृत नहीं है या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया है) :

- (i) EGM हेतु उपस्थिति पर्ची में नीचे की तरफ प्रारंभिक पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है :-

EVEN (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन
----------------------------------	-----------	-------------

- (ii) वोट डालने के लिए, कृपया उपरोक्त सभी चरणों क्र.सं. (1) से क्र.सं. (12) का पालन करें।
1. किसी भी संदेह की स्थिति में, सदस्यों हेतु बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं एवं सदस्यों हेतु रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध है या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें।
  2. रिमोट ई-वोटिंग हेतु यदि आप NSDL पर पहले से ही पंजीकृत हैं, तो अपना वोट डालने के लिए आप अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर सकते हैं।  
नोट : शेयरधारक, जो अपना यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गये हैं, वह [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details Password?" या "Physical User Reset Password?" का प्रयोग कर सकते हैं।  
यदि शेयरधारकों के पास डीमेट मोड (demat mode) में शेयर है, तो DPID+ClientID को मिलाकर यूजर आईडी बनेगी।  
यदि शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, तो Even No.+Folio No. को मिलाकर यूजर आईडी बनेगी।
  3. फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं, जिसे भविष्य में पत्राचार करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
  4. सदस्यों का वोट देने का अधिकार बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में, निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 15 सितंबर, 2017 को उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगी।
  5. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी EGM में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन उन्हें पुनः EGM में वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
  6. कोई व्यक्ति, निर्दिष्ट तारीख को निक्षेपागारों द्वारा रखे शेयरधारकों के रजिस्टर या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज हो, वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने और टैब वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में वोट करने हेतु पात्र होगा।
  7. वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच के लिए संवीक्षक के रूप में मेसर्स एस.एन.सुब्रह्मण्यम एण्ड कं. की नियुक्ति की गयी है।
  8. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा चुनावों के परिणाम की घोषणा करने के बाद उसे तुरंत [www.bankofindia.com](http://www.bankofindia.com) की वेबसाइट एवं NSDL की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा एवं शीघ्र ही स्टॉक एक्सचेंज (शेयर बाजार) को भी चुनाव परिणाम अग्रणीत किये जाने चाहिए।



## **Instructions for E Voting**

The instructions for E-Voting are as under:

- A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants(s)] :
1. Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password. If you already registered with NSDL for evoting then you can use your existing user ID and password.
  2. Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
  3. Click on Shareholder - Login
  4. Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
  5. Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
  6. Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
  7. Select "EVEN" of "BANK OF INDIA" . The **E-voting Even No. is 107202** for elections.
  8. Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
  9. Cast your vote by selecting the candidate of your choice and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
  10. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
  11. You will entitled to vote upto two candidates. Once you have voted you will not be allowed to modify your vote.
  12. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to [Scrutinizer@snaco.net](mailto:Scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
- B. In case a Member receives physical copy of the Notice of EGM [for members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :
- (i) Initial password is provided as below/at the bottom of the Attendance Slip for the EGM:

<b><u>EVEN (Remote e-voting Event Number)</u></b>	<b><u>USER ID</u></b>	<b><u>PASSWORD/PIN</u></b>
---	-----------------------	----------------------------

- (ii) Please follow all steps from Sl. No. (1) to Sl. No. (12) above, to cast vote.
1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990.
  2. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.  
*NOTE: Shareholders who forgot the User Details/Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).*  
*In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DPID+ClientID).*  
*In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No.+Folio No.).*
  3. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
  4. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the specified date 8<sup>th</sup> September, 2017.
  5. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
  6. A person, whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the specified date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through tab voting.
  7. M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co has been appointed for as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
  8. The Results of the Elections shall be placed on the website of the [www.bankofindian.com](http://www.bankofindian.com) and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.



**बैंक ऑफ़ इंडिया**  
प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.

**परोक्षी फार्म**  
(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो क्रं.	डीपी आईडी	
	क्लायंट आईडी	
(यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)	(यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)	

मैं/हम ..... निवासी ..... जिला .....  
राज्य ..... बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक, एतद्वारा श्री/श्रीमती .....  
..... निवासी ..... जिला ..... राज्य ..... को या वह न होने पर श्री/श्रीमती  
..... निवासी ..... जिला ..... राज्य ..... को मेरे/हमारे लिए मेरी/  
हमारी ओर से स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 के ऑडिटोरियम में **गुरुवार, 12 अक्टूबर 2017, प्रातः 10.15 बजे** आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की **असाधारण आम बैठक** में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... तिथि ..... 2017 को हस्ताक्षरित।

रसीदी  
टिकट

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

प्रथम शेयरधारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

**परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश**

परोक्षी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,

- एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- निगमित निकाय के मामले में, उनके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो;
- परोक्षी लिखत जिसमें शेयरधारक के अंगूठे का निशान लगा हो, उसे तभी वैध माना जाएगा जब यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्स या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत (अटेस्टेड) किया गया हो।
- यदि संबंधित पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी अथवा अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले से जमा अथवा पंजीकृत नहीं है, तो किसी परोक्षी फार्म को तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह यथाविधि स्टाम्पयुक्त न हो और उस पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी अथवा अन्य प्राधिकार को नोटरी अथवा मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित न किया गया हो और असाधारण आम बैठक की तिथि से **चार दिन** पहले निम्नलिखित पते पर जमा न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्पों के रूप में दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा।
- परोक्षी के पक्ष में लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



# Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051.

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We .....resident/s of ..... in the district of ..... in the state of ..... being a shareholder / shareholders of the Bank of India, hereby appoint Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... or failing him / her, Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of India** to be held on **Thursday, the October 12, 2017** at 10.15 a.m. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai, and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2017



**Signature of Proxy**

Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

**Signature of first named / Sole shareholder**

### Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- No instrument of proxy shall be valid unless,
- in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
- in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
- in the case of a body corporate, shall be signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of India.



## बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.

### उपस्थिति पत्र

(प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

दिनांक : अक्तूबर 12, 2017

समय : 10.15 सुबह

स्थान : मुंबई

पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)	डीपी आईडी एवं क्लायंट आईडी (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

मैं बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 12 अक्तूबर, 2017 को योजित बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ / करती हूँ।

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

## बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.

### प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास संभाल कर रखें)

दिनांक : अक्तूबर 12, 2017

समय : 10.15 सुबह

स्थान : मुंबई

पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)	डीपी आईडी एवं क्लायंट आईडी (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

शेयरधारक/शेयरधारकों के परोक्षी/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित यह उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पेपर साथ लेकर आएँ। शेयरधारकों/शेयरधारकों के परोक्षी/प्रतिनिधियों को प्रवेश पास-मतपत्र पेपर पास का हिस्सा वापस कर दिया जाएगा, जिसे बैठक समाप्त होने तक वे अपने पास रखेंगे। मतपत्र लेने के लिए मतपत्र पेपर पास का हिस्सा जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची सह-प्रवेश पास-सह मतपत्र पेपर पास की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी।

## बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051.

(पासवर्ड लेने के लिए मतदान काउन्टर पर सौंपा जाए)

पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)	डीपी आईडी एवं क्लायंट आईडी (यदि शेयर अमूर्तीकृत नहीं हैं)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	



## Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051.

### ATTENDANCE SLIP

To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : October 12, 2017

Time : 10.15 a.m.

Place : Mumbai

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on October 12, 2017 at Bank of India.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
--	--



## Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051.

### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : October 12, 2017

Time : 10.15 a.m.

Place : Mumbai

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



## Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051.

(To be surrendered to the Polling counters for issue of Pass word)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			





# GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE

